

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा



E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 2008 / 12.1

दिनांक, अल्मोड़ा, 28/12/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय : जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं० 151058/2022)।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं० 8बी० /यू०सी०पी०/०६/५३/२०२३/एफ०सी०/२२८ दिनांक २४.०५.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी बिन्दु संख्या- 1 से 3 तक आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर आनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नानुसार महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।


क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण												
1.	The KML analysed and found that the village Tuleri has already been connected from the existing road, while the other village Nain can be connected along the existing bridal path from the other side in a way so that the number of trees to be felled can be reduced to its minimum. The State Government is requested to explore the possibility of alternate along with the existing bridal path in order to connect the village Naini and submit the detailed report.	<p>ले०नि०वि० एवं भारत सरकार द्वारा सुझाये गये संरेखन का तुलनात्मक विवरण निम्नवत-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रस्तावित संरेखन</th> <th>पैदल रास्ते वाला संरेखन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 13 किमी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।</td> <td>1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 18 किमी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।</td> </tr> <tr> <td>2. प्रस्तावित संरेखन में 1 मी० स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है।</td> <td>2. नालों की चौड़ाई अधिक होने के कारण 6 मी० स्पान से लेकर 10 मी० स्पान तक पुलो का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।</td> </tr> <tr> <td>3. प्रस्तावित संरेखन में कम ऊंचाई की चट्टानों होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।</td> <td>3. इस मार्ग में अधिक ऊंचाई एवं कठोर खड़ी चट्टानों होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा। जिसके कारण उक्त स्थानों पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू-कटाव होगा।</td> </tr> <tr> <td>4. प्रस्तावित संरेखण बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा सहमति प्रदान की है।</td> <td>4. यह संरेखन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है (आख्या संलग्न)।</td> </tr> <tr> <td>5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।</td> <td>5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।</td> </tr> </tbody> </table>	प्रस्तावित संरेखन	पैदल रास्ते वाला संरेखन	1. प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 13 किमी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।	1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 18 किमी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।	2. प्रस्तावित संरेखन में 1 मी० स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है।	2. नालों की चौड़ाई अधिक होने के कारण 6 मी० स्पान से लेकर 10 मी० स्पान तक पुलो का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।	3. प्रस्तावित संरेखन में कम ऊंचाई की चट्टानों होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।	3. इस मार्ग में अधिक ऊंचाई एवं कठोर खड़ी चट्टानों होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा। जिसके कारण उक्त स्थानों पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू-कटाव होगा।	4. प्रस्तावित संरेखण बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा सहमति प्रदान की है।	4. यह संरेखन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है (आख्या संलग्न)।	5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।	5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।
प्रस्तावित संरेखन	पैदल रास्ते वाला संरेखन													
1. प्रस्तावित संरेखन में मोटर मार्ग का निर्माण होने से मोटर मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 13 किमी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।	1. वर्तमान में सुझाये गये संरेखन में मोटर मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासियों को जनपद मुख्यालय एवं लमगडा बाजार जाने में 18 किमी० की दूरी तय करनी पड़ेगी।													
2. प्रस्तावित संरेखन में 1 मी० स्पान कलवर्ट का निर्माण करके नालों को पार किया जा सकता है।	2. नालों की चौड़ाई अधिक होने के कारण 6 मी० स्पान से लेकर 10 मी० स्पान तक पुलो का निर्माण किया जाना होगा जो मोटर मार्ग के स्थायित्व एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।													
3. प्रस्तावित संरेखन में कम ऊंचाई की चट्टानों होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।	3. इस मार्ग में अधिक ऊंचाई एवं कठोर खड़ी चट्टानों होने के कारण अधिक कटान का कार्य किया जायेगा। जिसके कारण उक्त स्थानों पर स्लिप जोन बनने की संभावना है जिससे अत्यधिक भू-कटाव होगा।													
4. प्रस्तावित संरेखण बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा सहमति प्रदान की है।	4. यह संरेखन बनाये जाने में भूवेत्ता द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की गयी है (आख्या संलग्न)।													
5. इस प्रस्तावित संरेखन में ग्रामवासियों की अनापत्ति प्राप्त है।	5. इस संरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।													
2.	The tree Enumeration detail is not clear because the number (tree count) mentioned in the documents uploaded as an additional document in online portal is differ from the number	<p>पूर्व प्रेषित पार्ट- II में (0-30) सेमी० व्यास श्रेणी के वृक्ष ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं होने के कारण पार्ट- II में अंकित नहीं हो पाये। जिन्हें वर्तमान में पार्ट- II के पैरा-4 (II) में ऑनलाईन वृक्षों की संख्या अंकित कर दी गयी है। वृक्षों की सूची पार्ट- II के Additional information में अपलोड की गयी है।</p>												

provided in online Part II at para 4. State Government is requested to clarify this discrepancy and provide/upload the correct information in this regard.

3. The State Government is requested to provide tree enumeration details for 7m width also.

प्रस्तावक विभाग द्वारा 7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना सूची पार्ट- 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 48 में अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय



(ध्रुव सिंह-मार्तोलिया)

प्रभागीय क्षेत्राधिकारी

सिविल प्रुं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 238 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 31/07/2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम- तुलैड़ी से ग्राम नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव सं०- 151058/2022।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/06/53/2023/एफ०सी०/228 दिनांक 24.05.2023 एवं आपका पत्रांक 181/12-1 दिनांक 19.07.2023।

महोदय,

भारत सरकार के संदर्भित पत्र की आपत्तियों के निस्तारण में आपके द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर में प्रस्तावित संरेखण के अतिरिक्त दूसरे वैकल्पिक मार्ग के निरीक्षण हेतु कोई सूचना नहीं है, जबकि भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र की मंशा में जो वैकल्पिक Bridal Path, जिससे नैन गाँव को जोड़ा जा सके, का निरीक्षण एवं दोनो संरेखणों (प्रस्ताविक व वैकल्पिक) का तुलनात्मक विश्लेषण करने हेतु कहा गया है, परन्तु आपके द्वारा इस संरेखण का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपकी प्रेषित आपत्ति निराकरण रिपोर्ट को अग्रेसित नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको प्रस्ताव मूल प्रतियों में इस आशय से लौटाया जा रहा है कि Bridal Path बनाने में सुझाया जा रहे संरेखण का निरीक्षण कर वैकल्पिक संरेखणों तथा प्रस्तावित संरेखण का तुलनात्मक विश्लेषण कर पुनः अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीय



(आनुराग कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

